**निरीक्षण** ▶ सुरक्षा संस्कृति को मिला नया आयाम

# कंपनी सुरक्षा समिति का व्हीटीसी में औचक निरीक्षण

**नवभारत, धनपुरी।** क्षेत्रीय स्तर पर औद्योगिक सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में कंपनी सुरक्षा समिति द्वारा व्हीटीसी का औचक निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर पूरा वातावरण अनुशासन, जागरूकता और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण नजर आया। कार्यक्रम का शुभारंभ अत्यंत गरिमामय ढंग से हुआ, जहां व्हीटीसी परिवार की ओर से गोविंद सिंघल ने सभी आगंतुक अतिथियों का पारंपरिक भारतीय रीति-रिवाजों के अनुरूप श्रीफल एवं गुलाब पुष्प भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। इसके पश्चात एरिया सेफ्टी बोर्ड के सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलन कर विद्या एवं बुद्धि की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की वंदना की गई, जिससे पूरे आयोजन में एक सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक भाव का संचार हुआ।

इस अवसर पर कंपनी सुरक्षा समिति की ओर से आनंद मिश्रा, संजय सिंह, धर्मा राव, कमलेश शर्मा एवं आईएसओ विभाग से अजीत मिश्रा उपस्थित रहे। साथ ही महाप्रबंधक (संचालन) मनीष श्रीवास्तव तथा क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी प्रसाद की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा मार्गदर्शिका एवं स्किन एसओपी का विधिवत विमोचन किया गया, जो सुरक्षा मानकों को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके साथ ही आधुनिक तकनीक से सुसज्जित ई-लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया, जो प्रशिक्षणार्थियों के ज्ञानवर्धन में सहायक सिद्ध होगी।

आगंतुकों ने प्रशिक्षण केंद्र के विभिन्न विभागों—सेल्फ असेसमेंट रूम, ट्रेनिंग गैलरी एवं वर्किंग मॉडल कक्ष का गहन निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। भोजन व्यवस्था का भी अवलोकन किया गया, जहां स्वच्छता एवं गुणवत्ता को लेकर सभी ने संतोष व्यक्त किया। विशेष रूप से सीपीआर प्रशिक्षण ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। डमी के माध्यम से दिए जा रहे इस प्रशिक्षण की सभी सदस्यों ने सराहना की। संजय सिंह ने स्वयं सीपीआर डमी पर अभ्यास कर इसकी उपयोगिता को रेखांकित किया तथा सुझाव दिया कि खदानों में कार्यरत श्रमिकों को भी यह प्रशिक्षण नियमित रूप से प्रदान किया जाए, ताकि आपातकालीन स्थितियों में त्वरित सहायता संभव हो सके। निरीक्षण के क्रम में सिलाई केंद्र का भी अवलोकन किया गया, जो कौशल विकास की दिशा में एक सराहनीय पहल के रूप में सामने आया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा समिति के सदस्यों ने व्हीटीसी की व्यवस्थाओं एवं संचालन की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए महाप्रबंधक बी.के. जेना, महाप्रबंधक (संचालन) मनीष श्रीवास्तव एवं सोहागपुर क्षेत्र के समस्त कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। अंत में व्हीटीसी परिवार की ओर से सभी आगंतुकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। यह निरीक्षण न केवल सुरक्षा मानकों की समीक्षा का अवसर बना, बल्कि कार्यस्थल पर सुरक्षा के प्रति जागरूकता और प्रतिबद्धता को और अधिक सशक्त करने का प्रेरणादायी माध्यम भी सिद्ध हुआ।

# जानलेवा साबित हो रही अस्पताल के सामने की नाली

▶ रोज गिर रहे लोग, प्रशासन बना मूकदर्शक

**नवभारत, ब्यौहारी।** जनता की जान से खिलवाड़ आखिर कब तक ब्यौहारी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने बनी अधूरी और खुली नाली अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। हालात इतने बदतर हैं कि रोजाना लोग इस नाली में गिरकर घायल हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। बताया जा रहा है कि विगत वर्ष लोक निर्माण विभाग के निर्देशन में बिजली ऑफिस से लेकर नौढ़िया कल्हारी तक सड़क एवं नाली निर्माण का ठेका एक निजी कंपनी को दिया गया था। निर्माण कार्य के दौरान ही गुणवत्ता पर सवाल उठे थे, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी ने ठेकेदार को खुली छूट दे दी। नतीजा यह हुआ कि नाली का काम अधूरा छोड़ दिया गया और सबसे संवेदनशील स्थान अस्पताल के सामने नाली को खुला छोड़ दिया गया।

यह वही जगह है जहां हर समय मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ लगी रहती है। गंभीर मरीजों के इलाज के लिए भागदौड़ में लगे परिजन अक्सर इस खुली नाली को देख नहीं पाते और हादसे का शिकार हो जाते हैं। कई लोग गिरकर चोटिल हो चुके हैं, जिससे आक्रोश बढ़ता जा रहा है।स्थानीय मेडिकल स्टोर संचालकों और अस्पताल आने वाले लोगों ने प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सवाल यह है कि क्या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है? जब इस मामले में लोक निर्माण विभाग ब्यौहारी के सहायक यंत्री से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने फोन तक उठाना जरूरी नहीं समझा। इससे साफजाहिर होता है कि जिम्मेदारों को जनता की सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं है। आम जन परेशान है कि अगर अस्पताल के सामने ही सुरक्षा नहीं, तो फिर जिम्मेदार कौन ?प्रशासन से मांग की गई है कि तत्काल नाली को ढ़ंककर सुरक्षित बनाया जाए, ताकि आगे किसी की जान खतरे में न पड़े।

# छात्राओं को मिली 'पीएम विद्यालक्ष्मी योजना' की जानकारी

▶ उच्च शिक्षा के लिए मिलेगा आसान ऋण

**नवभारत, शहडोल।** पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के तहत शासकीय इंदिरा गांधी गृह विज्ञान कन्या महाविद्यालय शहडोल में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्राचार्य डॉ. सुनील कुमार सक्सेना के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में योजना की नोडल अधिकारी प्रो. चरणा गुप्ता (सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र) ने छात्राओं को पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह योजना भारत सरकार द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि आर्थिक अभाव किसी भी छात्र-छात्रा के सपनों के बीच बाधा न बने।

उन्होंने छात्राओं को बताया कि इस योजना के तहत देश के विभिन्न बैंकों के माध्यम से शिक्षा ऋण की सुविधा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती है। विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर विभिन्न बैंकों की ऋण योजनाओं की तुलना कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं।प्रो. गुप्ता ने छात्राओं को योजना से जुड़ी ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक विद्यार्थियों से पोर्टल पर पंजीयन करने का आह्वान किया, ताकि वे इस सुविधा का लाभ उठा सकें और अपने भविष्य को संवार सकें। कार्यक्रम में हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. सुनीता सिंह मरकाम, होम साइंस विभागाध्यक्ष डॉ. यमुना धुर्वे, डॉ. प्रियंका मार्को (सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र) सहित महाविद्यालय का समस्त स्टाफएवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। इस आयोजन से छात्राओं में उच्च शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ा और उन्हें अपने करियर को नई दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

## श्रम न्यायालय पहुंचा सेवा समाप्ति विवाद का मामला

**नवभारत,शहडोल।** श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विवाद प्रकरण अब श्रम न्यायालय शहडोल के समक्ष विचाराधीन है। यह मामला सेवा से हटाए गए कर्मचारी श्री रजनीश प्रताप सिंह लखेरा और मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत संचालित सरसी आइलैंड रिसॉर्ट, सरसी (तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल) के इकाई प्रभारी के बीच का है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, उप श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इंदौर ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए इस प्रकरण को अधिनिर्णय के लिए श्रम न्यायालय शहडोल को संदर्भित किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर यह मामला औद्योगिक विवाद की श्रेणी में आता है, जिस पर न्यायिक परीक्षण आवश्यक है।

# जिला कांग्रेस गठन में जयसिंहनगर की अनदेखी, संगठन पर उठे गंभीर सवाल

▶ विधानसभा मुख्यालय होने के बावजूद नहीं मिला प्रतिनिधित्व पुराने नेताओं में नाराजगी

**नवभारत, जयसिंहनगर।** जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी सूची जारी होते ही जयसिंहनगर में असंतोष की लहर दौड़ गई है। विधानसभा मुख्यालय और नगर परिषद होने के बावजूद यहां के किसी भी नेता को संगठन में स्थान नहीं दिए जाने पर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है।

### 15-20 हजार वोटर वाला क्षेत्र फिर भी पूरी तरह उपेक्षित

जयसिंहनगर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक लगभग 15 से 20 हजार मतदाता हैं, जो हर चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। इसके बावजूद जिला कार्यकारिणी में एक भी प्रतिनिधि को जगह न मिलना स्थानीय कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इतनी बड़ी मतदाता संख्या वाले क्षेत्र की अनदेखी संगठन की रणनीति पर सवाल खड़े करती है।

### 30-40 वर्षों से जुड़े वरिष्ठ नेता भी दरकिनार

सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर है कि जयसिंहनगर के वे वरिष्ठ नेता, जो पिछले 30 से 40 वर्षों से कांग्रेस संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं, उन्हें भी पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राम निहोर राव और एडवोकेट राजेंद्र गौतम जैसे अनुभवी नेताओं को भी कार्यकारिणी में स्थान नहीं मिला, जिससे संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों की मानें तो जिला कांग्रेस में गुटीय राजनीति हावी है, जिसके चलते अपने-पराए की नीति के तहत चयन किया गया है। आरोप है कि ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र के नेताओं को प्राथमिकता दी गई, जबकि जयसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया।

### चुनाव से पहले संगठन कमजोर करने का आरोप

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह की अनदेखी से पार्टी को आगामी निकाय, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि समय रहते समन्वय और संतुलन नहीं बनाया गया, तो संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना मुश्किल हो जाएगा। गौरतलब है कि केवल कांग्रेस ही नहीं, बल्कि जिले में भाजपा संगठन में भी जयसिंहनगर मुख्यालय से किसी बड़े पदाधिकारी को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इससे क्षेत्र में राजनीतिक उपेक्षा की भावना और गहराती जा रही है। जयसिंहनगर में उठ रही यह नाराजगी आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है। अब देखना होगा कि जिला कांग्रेस नेतृत्व इस असंतोष को कैसे संभालता है या फिर यह विवाद और गहराता है।

# वेतन नहीं मिलने पर रोजगार सहायकों का अल्टीमेटम

▶ काम बंद करने की चेतावनी, विधायकों को सौंपा ज्ञापन

**नवभारत, शहडोल ।** जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम रोजगार सहायकों ने पिछले चार माह से लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर बुधवार को जनपद पंचायत पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार, 16 अप्रैल 2026 को आयोजित बैठक के दौरान, जिसमें मनीषा सिंह एवं शरद जुगलाल कोल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे, रोजगार सहायकों ने दोनों विधायकों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। ज्ञापन में बताया गया कि रोजगार सहायक निरंतर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, इसके बावजूद विगत चार माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार सहायकों ने मांग की है कि लंबित वेतन का शीघ्र भुगतान किया जाए तथा भविष्य में वेतन भुगतान के लिए निश्चित समय-सीमा निर्धारित की जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो वे विभागीय कार्यों का बहिष्कार करने एवं आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में रोजगार सहायक एवं संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

# शहडोल को मिली न्याय की नई पहचान, अत्याधुनिक न्यायालय भवन का वर्चुअल लोकार्पण

▶ मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने किया उद्घाटन, न्याय व्यवस्था को मिलेगी नई गति

**नवभारत,शहडोल।** जिले की न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शहडोल न्यायालय को नया अत्याधुनिक भवन मिल गया है। इस बहुप्रतीक्षित भवन का वर्चुअल उद्घाटन उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा द्वारा किया गया।नए भवन के लोकार्पण के साथ ही जिले में न्यायिक कार्यों के संचालन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे आम नागरिकों को त्वरित एवं सुगम न्याय मिल सकेगा। यह भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और न्यायिक प्रक्रियाओं को और अधिक व्यवस्थित बनाने में सहायक सिद्ध होगा। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के. एल. सिंह, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय शंभूनाथ शर्मा, विशेष न्यायाधीश दीपाली शर्मा, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कमलेश कोल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेन्द्र सिंह सिंघार सहित न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राकेश सिंह बघेल, वरिष्ठ अधिवक्ता हनुमान मिश्रा, प्रकाश त्रिपाठी, बादल सोनी, राजू यादव, दीपक केवट, शिवम तिवारी, शिवम त्रिपाठी एवं राहुल नामदेव सहित अन्य अधिवक्ताओं की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया।नए न्यायालय भवन के शुरू होने से जिले की न्यायिक व्यवस्था को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे लंबित मामलों के त्वरित निपटारे में भी मदद मिलेगी।

# ब्यौहारी में सांसद के खिलाफ भड़का आक्रोश, किया पुतला दहन

▶ लाड़ली बहनों का अपमान बर्दाश्त नहीं-गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी

**नवभारत, शहडोल।** सीधी जिले के बहरी ग्राम में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में कथित तौर पर एक महिला के साथ हुई अभद्रता का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में ब्यौहारी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने तीखा प्रदर्शन करते हुए सीधी लोकसभा सांसद डॉ. राजेश मिश्रा का पुतला दहन किया।जानकारी के अनुसार, बहरी ग्राम के छिरिहा टोला निवासी इंद्रवती प्रजापति ने शिविर में सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर सवाल उठाए थे। आरोप है कि इस पर सांसद ने महिला के प्रति अपमानजनक टिप्पणी कर दी। इतना ही नहीं, मौके पर वीडियो बना रहे एक युवक को भी डांटकर रिकॉर्डिंग बंद करने को कहा गया, जिससे वहां मौजूद लोगों में नाराजगी फैल गई।

इसी घटनाक्रम के विरोध में दिनांक 16 अप्रैल 2026, गुरुवार को शाम 4 बजे बंशुकली चौराहा, ब्यौहारी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ब्लॉक इकाई के बैनर तले जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व अजय सिंह पेंड्रो मोनू ने किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सांसद के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और उनका पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया।प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्याएं सुनने के बजाय अपमान करना शोभा नहीं देता। खासकर जब बात महिलाओं की हो, तो इस तरह का व्यवहार बेहद निंदनीय है। चेतावनी देते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि जल्द ही माफी नहीं मांगी गई, तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा।

**मजबूरी** ▶ वीडियो वायरल होने के बाद भी 'कुंभकर्णी नींद' में सोया गोहपारू जनपद प्रशासन, ग्राम खाम्हा का मामला

# आंखों से लाचार बुजुर्ग महिला भीख मांगकर भर रही पेट

**नवभारत, गोहपारू।** आजादी के अमृत काल में जब देश मंगलयान और डिजिटल क्रांति की बात कर रहा है, तब शहडोल जिले के जनपद पंचायत गोहपारू से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जो हमारे सिस्टम की जड़ों में लगी 'लापरवाही की दीमक' को उजागर करती है। ग्राम पंचायत खाम्हा की रहने वाली 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला मानवती की है आज जिंदा रहने के लिए सरकारी मदद नहीं, बल्कि गांव की गलियों में भीख मांगने को मजबूर हैं।

### वीडियो में छलका दर्द: 'साहब, अब हाथ नहीं उठते भीख मांगने को

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक हृदयविदारक वीडियो में मानवती का है हाथ जोड़कर रोते हुए अपनी व्यथा सुना रही हैं। उनकी आंखों में मोतियाबिंद या दृष्टिहीनता का अंधेरा है, और जीवन में प्रशासनिक अनदेखी का। वीडियो में वे सीधे तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर को संबोधित करते हुए कहती हैं- 'साहब ! मेरी उम्र 60 साल हो गई, आंखों से कुछ दिखता नहीं। 2 महीने से पेंशन के लिए भटक रही हूं। भीख मांगकर कब तक पेट भरूंगी पेंशन चालू करवा दो।'

### सचिव की भूमिका संदिग्ध

इस पूरे मामले में ग्राम पंचायत खाम्हा के सचिव की भूमिका सबसे संदिग्ध और गैर-जिम्मेदाराना नजर आ रही है। सूत्रों और ग्रामीणों के अनुसार, करीब दो माह पहले मानवती ने पेंशन के लिए आवेदन की फाइल गाड़ी से ले जाकर सचिव को सौंपी थी। सवाल यह है कि जब महिला 'अति-पात्र' की श्रेणी में आती है, तो 2 महीने तक आवेदन पोर्टल पर क्यों नहीं चढ़ा? क्या सचिव को एक दृष्टिबाधित बुजुर्ग महिला की बेबसी नजर नहीं आई? क्या प्रशासन तब जागेगा जब यह लाचारी किसी बड़ी अनहोनी में बदल जाएगी।

### सरकारी दावों की खुली पोल

मुख्यमंत्री की 'जन सेवा' और 'अंत्योदय' की योजनाएं गोहपारू के खाम्हा गांव में आकर दम तोड़ती नजर आ रही हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि बुजुर्गों को दफ्तर आने की जरूरत नहीं, प्रशासन उनके द्वार जाएगा। लेकिन मानवाती का मामला बताता है कि यहाँ 'द्वार' तो दूर, दफ्तर में आवेदन देने के बाद भी बुजुर्गों को भीख मांगनी पड़ रही है।

1. क्या इस वायरल वीडियो को साक्ष्य मानकर तत्काल पेंशन मंजूर की जाएगी?
2. क्या उस लापरवाह सचिव पर कार्रवाई होगी जिसने एक बुजुर्ग महिला की फाइल को रद्दी समझकर दबा रखा है?
3. क्या मानवाती को भीख मांगने के कलंक से मुक्ति मिलेगी? जब इस संबंध में पंचायत सचिव को दो बार फोन लगाया गया लेकिन सचिव साहब का फोन नहीं उठा।

### आस्था दाहिया ने 10वीं में 89.6% अंक लाकर बढ़ाया क्षेत्र का मान

**नवभारत,धनपुरी ।** ग्रीन बेल्स पब्लिक स्कूल, बुढार की प्रतिभाशाली छात्रा कुमारी आस्था दाहिया ने कक्षा 10वीं की परीक्षा में 89.6% अंक प्राप्त कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे वार्ड क्रमांक 21 का नाम गर्व से ऊँचा किया है। उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल बना दिया है। कुमारी आस्था दाहिया, श्री उमेश दाहिया एवं श्रीमती ललिता दाहिया की सुपुत्री हैं। अपनी मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास के बल पर उन्होंने यह शानदार सफलता हासिल की है। आस्था की इस सफलता पर वार्ड क्रमांक 21 की पार्षद श्रीमती दिव्य रेखा विनय सिन्हा ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आस्था ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से पूरे वार्ड का मान बढ़ाया है और अन्य विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा प्रस्तुत की है।

# झूठी एफआईआर मामले में हाईकोर्ट सख्त

▶ पुलिस अधिकारी से मांगा जवाब

**नवभारत, शहडोल।** मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कथित झूठी एफआईआर दर्ज करने के मामले में पुलिस अधिकारी को तलब किया है। न्यायालय ने संबंधित सहायक उपनिरीक्षक और शिकायतकर्ता पप्पू सिंह को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मामला एमसीआरसी क्रमांक 15329/2026 से जुड़ा है, जिसमें अजयधर द्विवेदी के विरुद्ध थाना कोतवाली शहडोल में अपराध क्रमांक 63/2026 दर्ज किया गया था। आरोप है कि शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में चल रहे प्रकरण की जानकारी छुपाते हुए यह एफआईआर दर्ज कराई गई। बताया जा रहा है कि अजयधर द्विवेदी द्वारा पहले ही वर्ष 2025 में धारा 138 एनआई एक्ट के तहत परिवाद प्रस्तुत किया गया था, जिसकी जानकारी शिकायतकर्ता को थी। इसके बावजूद पुलिस में मामला दर्ज कराना और तथ्यों को छिपाना न्यायालय की नजर में गंभीर विषय माना गया। उच्च न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं तथा संबंधित पुलिस अधिकारी को भी जवाब देने के लिए तलब किया है। न्यायालय ने झूठी एफआईआर के मामलों पर सख्ती दिखाते हुए स्पष्ट संकेत दिए हैं कि इस प्रकार के मामलों में जिम्मेदार व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद निर्धारित की गई है।